विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों के सम्भाजन उपरान्त तैयार किए गए प्रस्तावों की आलेख्य सूची के प्रकाशन का नोटिस

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–1266/सीईओ–4–24/4–2018 दिनांकित 21 मई 2018 के द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार तथा पत्र संख्या–1160/सीईओ–2–5/2–2016 दिनांकित 23 मई, 2018 में दिए गए निर्देशों के अनुसार जनपद जालौन में अवस्थित **219–माधौगढ, 220–कालपी, तथा 221–उरई (अ0जा0)** के मतदेयस्थलों का भौतिक सत्यापन संबंधित उप जिलाधिकारियों द्वारा किया गया है तदोपरान्त मतदेयस्थलों के सम्भाजन का प्रस्ताव का आलेख्य विधानसभा वार अलग अलग तैयार किया गया है।

अतः हैण्डबुक फार रिटर्निग आफिसर–2014 के अध्याय–II प्रस्तर 2.8.4 में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में उक्त वर्णित 219–माधौगढ, 220–कालपी, तथा 221–उरई (अ0जा0) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए सम्भाजन प्रस्तावों **(तीनों निर्वाचन क्षेत्रों की सूची संलग्न)** के आलेख्य को प्रकाशित करता हूँ।

उक्त सम्भाजन प्रस्तावों के आलेख्य में यदि कोई व्यक्ति/राजनैतिक दल आपत्ति या सुझाव देना चाहते हैं **तो वे अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव 7 दिन के अंदर अर्थात 25 जून 2018 तक जिला निर्वाचन कार्यालय,जालौन स्थान उरई में प्रस्तुत कर सकते हैं।** ताकि प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को आयोग के मानकों के सापेक्ष भौतिक सत्यापन संबंधित उप जिलाधिकारी से कराकर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

दिनांक– 19 जून, 2018

(प्रमिल कुमार सिंह)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, जालौन स्थान उरई।

पत्रांक– 368/उन्तीस–2018/मत0स्थल सम्भाजन   दिनांक 19 जून, 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

1–मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0 1253/सीईओ–2 दिनांक 12 जून 2018 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

2–जिलाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

3–मा0 अध्यक्ष/मन्त्री, समस्त मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल, जनपद जालौन को आलेख्य प्रकाशित मतदेयस्थलों की सूचियों के एक–एक सेट छायाप्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

4–समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद जालौन। कृपया आलेख्य प्रकाशन के उपरान्त राजनैतिक दलों से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के प्राप्त होने पर उनका त्वरित भौतिक सत्यापन/जांच कराकर, यदि सुझाव आयोग के मानकों के अंतर्गत हो, तो तदनुसार उसे मतदेयस्थलों की सूची में यथास्थान संशोधन आदि कराना सुनिश्चित करें तथा भौतिक सत्यापन/जांच रिपोर्ट इस कार्यालय में भी उपलब्ध करायें।

5–DIO NIC उरई को इस निर्देश के साथ कि कृपया इस नोटिस को समस्त जनपद जालौन की वेबसाइट में DEO Portal पर अपलोड करने का कष्ट करें।

6–जिला सूचना अधिकारी, जालौन को 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित इस निर्देश के साथ किइस सूचना को समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

(प्रमिल कुमार सिंह)
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
जालौन स्थान उरई।